तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 33/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
03.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी श्याम पुत्र दयाराम जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, श्री गणपति जोधपुर केटर्स, ईदगाह के सामने, सारणेश्वर रोड़, सिरोही, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित।	

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.8.2023 को फर्म श्री गणपति जोधपुर केटर्स, ईदगाह के सामने, सारणेश्वर रोड़, सिरोही में प्रतिवादी श्याम पुत्र दयाराम जी जाट से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) का नमूना संख्या S-2172 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2192/Act/2023/2245 दिनांक 25.8.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.7.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव व प्रतिवादी को आज ही सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि उसने बाजार से बेसन खरीद कर लड्डू बनाये है, जिसमें कोई मिलावट नही की है। यह उसका प्रथम अपराध है। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 13.8.2023 को 1.00 पी.एम. पर [illegible] केटर्स, ईदगाह के सामने, सारणेश्वर रोड़, सिरोही, तह[illegible]ला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण [illegible] जोधपुर केटर्स के दुकान के अन्दर बेस[illegible] तेल से नि[illegible] 12000 रखे हुये थे [illegible] बिक्री हेतु बनाये थें। श्री गणपति जोधपुर केटर्स में रखे हुए खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाइन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) में मिलावट का शक होने पर

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 33/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	उक्त खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) में से 2 किलोग्राम बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह श्री कमल, प्रर्वतन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, सिरोही के समक्ष एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) को हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एकरुप किये हुए बेसन लड्डू को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता श्याम पुत्र दयाराम जी जाट व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता श्याम व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 14.8.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 14.8.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री जोधपुर गणपति केटर्स, ईदगाह के सामने, सारणेश्वर रोड़, सिरोही में प्रतिवादी श्याम पुत्र दयाराम जी जाट से खाद्य पदार्थ .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 33/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) के नमूना संख्या S-2172 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2192/Act/2023/2245 दिनांक 25.8.2023 में खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्याम पुत्र दयाराम जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री गणपति जोधपुर केटर्स ने अमानक खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ बेसन लड्डू (रिफाईन्ड सोयाबिन तेल से निर्मित) के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्याम पुत्र दयाराम जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री गणपति जोधपुर केटर्स, ईदगाह के सामने, सारणेश्वर रोड़, सिरोही, तहसील व जिला–सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी श्याम पुत्र दयाराम जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म श्री गणपति जोधपुर केटर्स, ईदगाह के सामने, सारणेश्वर रोड़, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया [illegible] बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला [illegible] के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवावे। पत्रावली [illegible] मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय [illegible] गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.8..2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:07 IST
Reason: SelfAttested